न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बानसूर जिला अलवर

पीठासीन अधिकारी – श्री राकेश कुमार मीना (आर.ए.एस.)
अपील संख्या – 06/2020
दायर दिनांक – 14.10.2020
निर्णय दिनांक – 16/3/21

उनवान

1. नितेश कुमार पुत्र गेन्दाराम जाति मेघवाल
2. निशान्त कुमार पुत्र गेन्दाराम जाति मेघवाल
   निवासीयान नांगल भावसिंह तन लोयती तह0बानसूर जिला अलवर

-- **अपीलाण्टस**

बनाम

1. सरपंच ग्राम पंचायत लोयती पंचायत समिति बानसूर तहसील बानूसर जिला अलवर राज0

-- **रेस्पोडेण्टस**

2. रेवती देवी पत्नि गेन्दाराम जाति मेघवाल निवासी नांगल भावसिंह तन लोयती तह0बानसूर जिला अलवर

अपील विरूद्ध नामान्तकरण सं. 451 निर्णय दिनांक 05.05.2005 द्वारा ग्राम पंचायत लोयती वाकै मौजा नांगल भावसिंह

उपस्थित अधिवक्तागण :–
1. अपीलान्ट – श्री मनोज सोनी एड0
2. रेस्पोडेण्ट 2– डी0पी0चौधरी एड0

–:निर्णय:–

आज यह अपील हमारे समक्ष वास्ते आदेश पेश हुई। अपील के सुक्ष्म तथ्य इस प्रकार है कि अपीलाण्ट ने एक अपील अन्तर्गत धारा 75 एल0आर0एक्ट के तहत पेश कर निवेदन किया कि मातहत ग्राम पंचायत लोयती तहसील बानसूर के द्वारा अपील[illegible] बुजुर्गानी आराजी का इंतकाल संख्या 451 दिनांक 05.05.2005 [illegible] भावसिंह तह0 बानसूर का निर्णय मिन अपीलाण्ट[illegible] पीठ [illegible] पीछे से किया [illegible] जिसकी जानकारी अपीलाण्ट को हल्का पटवारी [illegible] किसान केडिट कार्ड

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2021.08.04 13:49:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बानसूर 'अलवर

Scanned with CamScanner

पत्रावली बनवाने के लिये जाने पर दिनांक 20.08.2020 को हुई। आ0ख0नं0 6 रकबा 0.99 है0 साबिक ख0न0 321 रकबा 03 बीघा 18 बिस्वा, 8 रकबा 0.31 है0 साबिक ख0न0 322 रकबा 01 बीघा 05 बिस्वा वाकै मौका नांगल भावसिंह तह0 बानसूर की आराजी का इंतकाल सं0 451 दिनांक 05.05.2005 वाकै मौजा नांगल भावसिंह का निर्णय मातहत अदालत ग्रा0पं0 लोयती द्वारा किया गया। राजस्व कर्मचारी हल्का पटवारी के मिन अपीलाण्ट की पैत्रिक आराजी का इंतकाल संख्या 451 दिनांक 05.05.2005 वाकै मौजा नांगल भावसिंह की फर्द भरते समय अपीलाण्ट के मृतक पिता गेन्दाराम के पुत्रों (अपीलाण्ट) का सही नाम नितेश कुमार, निशांत कुमार को छोडकर गांव में बोलते नाम रामफल व हंसराज के नाम से विरासत का नामांतकरण दर्ज कर दिया जो गलत दर्ज कर दिया। हल्का पटवारी ने मिन अपीलाण्ट को नुकसान पहुँचाने की नियत से विरासत इंतकाल में अपीलाण्ट का सही नाम नितेश कुमार की जगह गांव के बोलते नाम रामफल व अपीलाण्ट निशान्त कुमार की जगह हंसराज दर्ज कर दिया तथा मातहत अदालत ग्राम पंचायत लोयती के तत्कालीन सरपंच ने भी उक्त इंतकाल का निर्णय बिना राशन कार्ड, पहचान पत्र, आधार कार्ड में अंकित नाम की जांच किये बिना ही स्वीकार किया गया । ऐसी सूरत में जैर अपील निर्णय मनसूख किये जाने योग्य है। अपील अपीलाण्ट स्वीकार कर मताबिक अपील अनुतोष नामांतकरण स्वीकार फरमाया जावे।

अपील अपीलाण्ट दर्ज पंजिका की जाकर रेस्पो0 को जर्ये नोटिस तलब किया गया। रेस्पो0 सं0 01 बावजूद तामील अनुपस्थित रहने पर इनकी अनुपस्थिति दर्ज की गयी। रेस्पो0संख्या 02 ने शपथ पत्र पेश कर अपीलाण्ट का नाम सही करने हेतु निवेदन किया है। मूल नामांतकरण तलब किया गया।

विद्वान अधिवक्तागण की बहस सूनी गई। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन व अध्ययन किया गया। विवादित आराजी अपीलाण्ट व रेस्पो0 सं0 02 की पैत्रिक आराजी रही है। अपीलाण्ट व रेस्पो0 सं0 02 के पिता/पति की मृत्यू हो जाने से उनका विरासत नामान्तकरण सं0 451 दिनांक 05.05.2005 को ग्राम पंचायत लोयती द्वारा स्वीकार किया गया जिसमें अपीलाण्ट का नाम रामफल , हंसराज दर्ज किया गया है। जबकि इनके आधार कार्ड, जनआधार कार्ड, राशन कार्ड, में इनका नाम नितेश कुमार, निशान्त कुमार है। ग्रा0पं0 लोयती द्वारा अपीलाण्ट के पिता की विरासत का नामान्तकरण सं0 451 का [illegible] करते समय इनके सही नाम की जांच नही की गई बल्कि गांव में बोलते [illegible] से ही नामान्तकरण

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2021.08.04 13:49:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बानसूर 'अलवर

Scanned with CamScanner

दर्ज व फैसल किया गया। उक्त नामान्तकरण जांच का मोहताज है। उक्त विवेचानुसार अपील अपीलान्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

–:आदेश:–

अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार कि जाकर विरासत नामान्तकरण सं0 451 वाकै मौजा नांगल भावसिंह पर ग्रा0पं0 लोयती द्वारा किये गये निर्णय दिनांक 05.05.2005 को अपास्त (निरस्त) कर मूल नामान्तकरण तहसीलदार, बानसूर को इस आशय के साथ प्रतिप्रेषित (रिमाण्ड) किया जाता है कि वे उक्त नामान्तकरण का विधि सम्मत निर्णय पारित कर नामान्तकरण का पुनः निस्तारण करें।

उपखण्ड अधिकारी
बानसूर जिला अलवर

आज दिनांक 16/3/21 को यह आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बानसूर जिला अलवर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2021.08.04 13:49:41 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner